राजस्थान विधान सभा

(सोलहवीं विधान सभा का षष्ठम् सत्र)

प्रश्न शाखा

बुलेटिन भाग - 2

(राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

विधान सभा भवन,
जयपुर।

संख्या : 58

दिनांक 03 अगस्त, 2026

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं:-

1. माननीय सदस्यों से प्रश्नों की प्राप्ति के साथ ही उन प्रश्नों को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 37(2) के बिन्दु संख्या 1 से 25 के अनुसार जांच कर प्रश्नों की ग्राह्यता विनिश्चित की जावेगी अर्थात जिन प्रश्नों को स्वीकार किया जावेगा उन प्रश्नों को नियमित रूप से दर्ज कर दिया जावेगा तथा जिन प्रश्नों को उक्त नियमानुसार जांच कर यह पाया जावेगा कि वे प्रश्न उक्त नियमानुसार ग्राह्यता विनिश्चित किये जाने योग्य नहीं है उन प्रश्नों को अग्राहय कर दिया जावेगा। अत: आप प्रश्न को नियमानुसार प्रस्तुत करें जिससे प्रश्न की ग्राह्यता विनिश्चित की जा सके।

2. एक माननीय सदस्य द्वारा एक दिवस में अधिकतम दस (10) तारांकित एवं दस (10) अतारांकित प्रश्नों की ही सूचना प्रश्न शाखा में दी जाएगी।

3. जहां तक संभव हो एक दिवस में पृथक-पृथक विभागों से संबंधित सूचना ही मांगी जावे ताकि शलाका में अधिक से अधिक विभागों के प्रश्न सम्मिलित हो सके।

4. (i) प्रश्न इतना विस्तृत नहीं हो जिसकी सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगने की संभावना हो।
   (ii) प्रश्न में जहां तक संभव हो गत पांच वर्षों से अधिक की सूचना नहीं मांगी जावे।
   (iii) प्रश्न में जहां तक संभव हो माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के किसी विशेष स्थान, विधान सभा क्षेत्र, तहसील आदि तक की ही सूचना मांगी जावे, पूरे जिला, प्रदेश की नहीं।

5. प्रश्न में सार्वजनिक हित की ही जानकारी पूछी जानी चाहिये, व्यक्तिगत हित की जानकारी नहीं पूछी जानी चाहिये।

6. अधिकांश विभागों द्वारा संचालित योजनायें, प्रक्रिया तथा नियमों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध हैं अत: जहां तक संभव हो उक्त जानकारी प्रश्न के माध्यम से नहीं पूछी जावे ताकि राजकीय व्यय कम हो तथा सूचना प्राप्त हो सके।

क्रमश...2

7. राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 37(2) में उल्लेखित 01 से 25 बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही प्रश्न में चाही गई जानकारी पूछी जानी चाहिये।

8. प्रश्न में जहां तक संभव हो अधिकतम 03 या 04 बिन्दु से अधिक की जानकारी नहीं पूछी जावे।

9. प्रश्नों को सारगर्भित भाषा में टंकित कर ऑनलाईन प्रेषित किया जावे।

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव